

विज्ञापन

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस बार्यालय में ओप्रोगिक शिक्षुओं का एक नवं क्ले लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण एवं भूता अधिनियम 1961 के अंतर्गत देख होगा। बःनशाला, झज्जर में दि. १०.६.२०२५ को नीचे दर्शाए गए निम्नलिखित ट्रेइंस के प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। जिन प्रशिक्षुओं ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है। वह प्रशिक्षु अपने मूल दस्तावेज जैसे राजस्ट्रेशन फॉर्म, मैट्रिक्स भैरिफिलेट, आईटी आई मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, अध. १ बाहं अदिलेकर दिनांक 25.06.2025 को कमशाला, झज्जर में प्रातः 10.00 बजे पहुंचे।

क्रमांक	ट्रेइंस	रिक्त पद
1.	डीजल मेकेनिक	३
2.	नोटर मेकेनिक लॉकल	४
३.	फिटर	३
४.	इलेक्ट्रिशन	३
५.	कोपा	१

नोट:

- शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान में पूर्व में प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नहीं हैं।
- इस्थुक उम्मीदवार ऑनलाइन <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24.06.2025 तक कर सकते हैं।
- महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर के पास अपरेटर लिंग्ज में वर्पित रिक्तियों को भटाने और बढ़ाने का अधिकार है।
- चयनित उम्मीदवारों का चयन, सहायक शिक्षुता सलाहकार झज्जर द्वारा उनके कॉन्ट्रैक्ट को सबौकार अरने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा। आतः राजी प्रशिक्षु अपना कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द बनवा कर वह सुनिश्चित करें कि उनका कान्ट्रैक्ट राहायक शिक्षुता सलाहकार झज्जर द्वारा दर्ताकरत हो गया है या नहीं।
- चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु झज्जर टिगो वा बहादुरगढ़ सब टिगो कहीं पर भी भेजा जा सकता है।

हस्ता/-महाप्रबंधक
हरियाणा राज्य परिवहन
झज्जर